यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/147/2020 **दिनांक :** 23.09.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

23 सितम्बर, 1954 – एआईबीईए द्वारा ऐतिहासिक प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल

आज से 66 वर्ष पूर्व, 23 सितम्बर, 1954 को एआईबीईए के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों द्वारा ऐतिहासिक प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल की गई थी। इस अवसर को स्मरण करते हुए एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 28/234/2020/72 दिनांक 21.9.2020 जारी किया गया है जिसका अनूदित सार सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

66 वर्ष पूर्व, 23 सितम्बर, 1954 को एआईबीईए द्वारा ऐतिहासिक प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल

आज यह स्मरण करने का शानदार अवसर है कि 66 वर्ष पूर्व, वर्ष 1954 में 23 सितम्बर को, बैंक कर्मचारियों ने एआईबीईए के आह्वान पर पहली अखिल भारतीय हड़ताल की। वह पूरी तरह से अलग समय था। बैंक कर्मचारी विभिन्न राज्यों में और विभिन्न बैंकों में अभी संगठित हो रहे थे। अभी तक सभी बैंकों में यूनियनें नहीं थीं। सामूहिक सौदेबाजी की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही द्विपक्षीय समझौते की कोई व्यवस्था थी। यूनियनें न्यायाधिकरणों के सम्मुख संघर्ष कर रही थीं।

पहला अखिल भारतीय न्यायाधिकरण **सेन न्यायाधिकरण** था जिसने अगस्त, 1950 में अपना अवार्ड दिया किन्तु दुर्भाग्य से बैंकरों के इशारे पर, अवार्ड को तकनीकी आधार पर निरस्त घोषित कर दिया गया।

तब मांगों को जुलाई, 1951 में **एच.वी. दिवातिया न्यायाधिकरण** को संदर्भित किया गया लेकिन इस न्यायाधिकरण ने इस्तीफा दे दिया।

इसलिए जनवरी, 1952 में, मुद्दों को **शास्त्री न्यायाधिकरण** को संदर्भित किया गया। एआईबीईए के साथ–साथ विभिन्न बैंकवार यूनियनों ने **वेतन वृद्धि की मांग को लेकर** न्यायाधिकरण के सम्मुख बहस की और अप्रैल, 1953 में, शास्त्री अवार्ड प्रकाशित हुआ।

लेकिन **शास्त्री अवार्ड के परिणामस्वरूप वेतन कटौती हुई** और इसलिए एआईबीईए ने इसके विरूद्ध आन्दोलन किया। मामले को **श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण (एलएटी)** को संदर्भित किया गया। अप्रैल, 1954 में एलएटी ने कर्मचारियों के पक्ष में कुछ हद तक शास्त्री अवार्ड को संशोधित करते हुए अपना अवार्ड दिया ताकि किसी प्रकार की वेतन कटौती न हो।

जारी पृष्ठ 2

बैंकरों ने सरकार से संपर्क किया और दुर्भाग्य से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने उनके दबाव के आगे घुटने टेक दिए और **अगस्त, 1954 में एलएटी अवार्ड को** अवैध रूप से **संशोधित किया।** सरकार पर कर्मचारियों की उम्मीद और विश्वास झूठे साबित हुए। उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। एआईबीईए इस अन्याय को सहन नहीं कर सकी।

इसलिए एआईबीईए ने 23 सितम्बर, 1954 को अखिल भारतीय हड़ताल के लिए अपना पहला आह्वान किया।

सरकार को उम्मीद थी कि बैंक कर्मचारी किसी बड़े पैमाने पर हड़ताल में शामिल नहीं होंगे और हड़ताल विफल हो जाएगी। प्रबंधनों ने भी पूर्वानुमान लगाया कि हड़ताल विफल होगी। लेकिन, **हड़ताल प्रभावशाली सफलता थी।** कर्मचारी पूर्ण रोष के साथ हड़ताल में शामिल हुए।

इस सफल हड़ताल के बाद, एआईबीईए अपने सम्मेलन में चैन्नई में मिली और 10.12.1954 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयारी ऐसी थी कि इसने सरकार पर प्रभाव बनाया। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मंत्रिमण्डल मिला और तत्कालीन श्रम मंत्री श्री वी वी गिरी ने वैध अवार्ड में अवैध हस्तक्षेप के लिए नेहरू की खुलेआम आलोचना की। सरकार के फैसले के विरोध में और एआईबीईए के समर्थन में, श्री **वी वी गिरि ने मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया।** इन सभी ने सरकार पर नरम पड़ने का दबाव बनाया और नेहरूजी ने घोषणा की कि उनकी घोषणा को वापस लिया जायेगा और वेतन कटौती लागू नहीं की जाएगी।

इस प्रकार, **23.9.1954 को एआईबीईए द्वारा प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल एक युगारम्भी हड़ताल थी और इस तरह से बेहतर वेतन और सेवाशर्तों में सुधार के लिए हमारी लड़ाई में संघर्षों की हमारी यात्रा प्रारंभ हुई।**

66 वर्ष बाद, हम अपने गौरवशाली संघर्षों और असंख्य उपलब्धियों पर गर्व के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं।

लेकिन हम देखते हैं कि आज भी हमारी आजीविका, आजीविका सुरक्षा, नौकरी के स्थायित्व, हमारे वेतन पर, सेवा शर्तों, हमारे अधिकारों और लाभों पर हमले बढ़ रहे हैं।

66 वर्ष पूर्व, एआईबीईए ने हड़तालों के अपने हथियार का उपयोग करना शुरू किया। पिछले छह दशकों से अधिक में एआईबीईए ने बैंक कर्मचारियों के साथ अन्याय के विरूद्ध हमारे संघर्ष के दौरान विभिन्न हड़ताली कार्रवाईयां की हैं। हमें संघर्ष की इस विरासत और प्रतिबद्धता को जारी रखना है।

एआईबीईए हमारा महाविद्यालय है जहां हमने सीखा है कि एकजुट क्यों होना है और कैसे संघर्ष करना है। इसलिए हमें अपने प्रिय संगठन पर गर्व है।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री